न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,देवली जिला टोंक (राज.)

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 66/2021 निर्णय दिनांक :– 20.06.24

1. कैलाशचन्द पुत्र रुघा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक (राज0)

–प्रार्थीया–

–बनाम–

1. मथुरा देवी पत्नी गोपाललाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. गोपाल पुत्र कल्याण जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी–

–उपस्थिति –

श्री बाबूलाल मीणा
अधिवक्ता प्रार्थी

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता अप्रार्थी नम्बर 01

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :– 20.06.2024

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है। यह कि अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 2.00 है0 एवं अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 0.07 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली जिला टोक राज0 मे स्थित है तथा खसरा नम्बर 165 गै0 मु0 रास्ता है। यह कि प्रार्थी पूर्वजो के समय से ही अपनी उक्त आराजीयात पर आम रास्ता खसरा नम्बर 165 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 176 एवं अप्रार्थीया

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 134 की भूमि की दक्षिणी दिशा की पूर्व से पश्चिम की मेर पर से होकर आता जाता रहा है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी भूमि में आने जाने का इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थी अपनी सुविधा के लिये रास्ता नहीं मांग रहा है। यह कि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बंद कर दिया गया है तथा उक्त रास्ते से प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत पर आने जाने मे बाधा उत्पन्न कर रहे है। इस कारण प्रार्थी अपने खेत को काश्त नही कर पा रहा है जिससे प्रार्थी को काफी नुकसान हो रहा है। यह कि प्रार्थी को अपनी भूमि में आने जाने हेतु आम रास्ता खसरा नम्बर 165 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 176 एवं अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 134 भूमि की मेर पर से होकर 16 फीट चोड़ा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक है जिससे प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि पर जाकर काश्त कर सके। प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है। यह कि तहसीलदार जी देवली को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 1.95 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा पटवार हल्का पनवाड़ तहसील देवली पर आने जाने के लिये आम रास्ता खसरा नम्बर 165 से अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 176 एवं अप्रार्थीया संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 134 भूमि की मेर पर से होकर 16 फीट चोड़ा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ने पत्रावली में अपना जवाब जरिये अधिवक्ता पेश किया, जिसके तथ्य इस प्रकार है :– यह कि आवेदन का चरण नम्बर 01 स्वीकार है। यह कि आवेदन का चरण न0 2 में अप्रार्थीया की खातेदारी ख0नं0 134 की होना स्वीकार है, शेष गलत है स्वीकार नही है। यह कि आवेदन का चरण न0 3 बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है। ख0नं0 165 में प्रार्थीगण ख0न0 176 व 134 से नहीं आते है बल्कि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई रास्ता बना हुआ नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 01 ने उक्त भूमि गोपाल से मोल ली है ओर तारबन्दी कर रखी है ओर कोई उक्त ख0न0

Scanned with OKEN Scanner

134 मे रास्ता नही है। प्रार्थी के खेत मे जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। यह कि आवेदन का चरण न0 4 बिल्कुल गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थी वैकल्पिक रास्ते से अपने खेत में आ जा रहा है और खेत को काश्त भी कर रहा है। उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नही हो रहा है। यह कि आवेदन का चरण न0 5 जिस प्रकार वर्णित किया गया है गलत है स्वीकार नही है, प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी की भूमि ख0न0 134 की मेर पर होकर आता जाता नहीं है बल्कि उक्त चारो तरफ मेर बन्दी हो रही है एवं तारबन्दी भी हो रखी है। यह कि आवेदन का चरण न0 6 व 7 कानूनी है जवाब की आवयश्ता नही है । आवेदन मे चाही गयी अधियाचना भी बिल्कुल गलत है स्वीकार नही हे प्रार्थी का आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब आवेदन पेशा कर निवेदन हे कि प्रार्थी का आवेदन मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

अप्रार्थीगण संख्या 2 बावजूद रजिस्ट्रर्ड एडी तामिल अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थीगण संख्या 3 तहसीलदार देवली ने जवाब/मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है :– प्रार्थी को अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते कि चौ0 5 मीटर व ल0 128 मीटर कुल क्षेत्रफल 640 वर्गमीटर निम्न प्रकार है। रास्ता चाहे जाने वाली भूमि सिंचित है व रोड आबादी से दूर है रास्ते हेतु चाही जाने वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर 508156 प्रति हैक्टर है। जिसकी एक गुना प्रतिकर राशि 32522 रूपये व दुगनी प्रतिकर राशि 65044 रूपये है। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी खसरा न. 134 मे से रास्ता चाहता है जिसको नक्सा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हीत कर दिया गया है। प्रस्तावित भूमि के मध्य कोई संरचना पेड इत्यादि नहीं है। अप्रार्थी रास्ता देने को सहमत नही है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि पत्रावली में अप्रार्थीगण संख्या 03 पेरोकार सरकार तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी पर पहुंचने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में कृषि कार्य के लिए रास्ते की

Scanned with OKEN Scanner

जमा राजकोष करें व हिस्सा मुताबिक संबंधित को वितरण करवाते हुये प्रभावित भूमि को सिवायचक किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner